

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें ईब्वदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 466/2021

महेन्द्र कुमार पुत्र कानाराम उर्फ कान्हा राम जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

--वादी

बनाम्



1. ओमप्रकाश
2. कृष्णलाल उर्फ दौलाराम
3. श्रवण कुमार
4. सुभाष
5. रामदयाल
6. शान्ति
7. विमला
8. कलावती
9. पप्पी
10. संतरो देवी
11. सावित्री

पुत्र/पुत्रियां हेतराम जाति समस्त जाट
साकिन किशनपुरा उत्तराधा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

12. सोहनलाल पुत्र जेठमल जाति महाजन निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)
13. लीला देवी पुत्री कानाराम
14. गुडडी देवी पत्नी रामेश्वर लाल
15. सरोज पुत्री रामेश्वर लाल
16. आत्माराम पुत्र गोरधन
17. उग्रसैन पुत्र गोरधन
18. पृथ्वीराज पुत्र गोरधन
19. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा सादुलशहर
20. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा पन्नीवाला मोटा तहसील राणिया जिला
सिरसा (हरि.)
21. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति समस्त जाट साकिन किशनपुरा
उत्तराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.5.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई
रोबरु हमारे बहाजरी श्री सन्तोष कुमार सॉलकी वकील वादी मिन जामिन मुदई व
वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.
अ./2023/762 दिनांक 03.03.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष
अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादी का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य
सहकाशकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

प्रमाण पत्रों के संग अभियान 2023
शिविर प्रस्ताव (GDO)
शिविर स्थल सा.ला.रा.शु.न्य

चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 28/17 (कुल खाता 8.349 है) मौका पर कब्जा काशत की भूमि :-

1. लीलादेवी पुत्री कानाराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 121/127 मु.नं. 3 कि.नं. 17/0.1275, 18/0.101, कुल रकबा 0.2275 है।
2. महेन्द्र पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 121/127 मु.नं. 3 कि. नं. 22,23,24/0.253 है.प्र., 18/0.152 है. कुल रकबा 0.911 है।
3. गुडडी पत्नी रामेश्वरलाल 3/4 हिस्सा सरोज पुत्री रामेश्वरलाल 1/4 हिस्सा जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 121/127 मु.नं. 3 कि.नं. 16/0.253, 17/0.1265, 25/0.253 है. प.नं. 122/127 मु.नं. 4 कि.नं. 21/0.253, प.नं. 122/128 मु.नं. 5 कि. नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला कुल रकबा 1.1385 है. नहरी मय गै.मु।
4. हेतराम पुत्र हीराराम रहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा सादुलशहर हेतराम पुत्र हीराराम फौत है इनके हिस्सो पर वारिसान का कब्जा काशत है :-ओमप्रकाश पुत्र हेतराम 1/9 हि. कलावती पुत्री हेतराम 1/9 हि. कृष्णलाल पुत्र दौलताराम पुत्र हेतराम 1/9 हि. पप्पी पुत्री हेतराम 1/9 हि. रामदयाल पुत्र हेतराम 1/9 हि. रहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा सादुलशहर विमला पुत्री हेतराम 1/9 हि. श्रवण कुमार पुत्र हेतराम 1/9 हि. रहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा पन्नीवाला, शान्ति पुत्री हेतराम 1/9 हि. सुभाष पुत्र हेतराम 1/9 हि. बहिब जाति जाट साकिन संगरिया प.नं. 121/128 मु.नं. 6 कि. नं. 6,7,8,9,12,13,14,15/0.253 है.प्र. प.नं. 122/128 मु.नं. 5 कि.नं. 10,11/0.253 है.प्र. 20/0.0379 कुल रकबा 2.567 है।
5. आत्माराम पुत्र गोर्धन 253/438 हि. गोर्धन पुत्र हीराराम फौत कब्जा काशत वारिसान का 185/438 जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 122/128 मु.नं. 5 कि.नं. 12/0.253, 19/0.253, 20/0.215, 21/0.253, 22/0.253, प.नं. 121/128 मु.नं. 6 कि.नं. 16,17,18,23,24,25/0.253 है.प्र., प.नं. 121/129 मु.नं. 11 कि.नं. 4,5,7/0.253 है. प्र. कुल 3.504 है।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काशत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24/5/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं प्र. 2023
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दिनांक: 24/5/2023

